संख्या- 50/सीपी 515/84-2-2013-सीपी 1/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2014

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. के सदस्यों हेतु कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3606, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया और यह पाया गया कि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में टेलीफोन की सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है। अत: राज्य आयोग के सदस्यगण को टेलीफोन की सुविधा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। कृपया तद-नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in